PBR/निगरानी/रतलाम/भू 25/2017/2147

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर म.प्र.

मुकेश पिता रामनारायण जी जाति लोधा
निवासी– ग्राम बड़ायला सरवन तह. पिपलोदा
जिला रतलाम म.प्र. :– प्रार्थी

विरूद्ध

दिनेश पिता चेनराम जाति लोधा
निवासी– ग्राम बड़ायला सरवन तह. पिपलोदा
जिला रतलाम म.प्र. :– प्रतिप्रार्थी

श्री .... द्वारा आज दि. 10.2.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, पिपलोदा के प्रकरण क्रमांक 12ए 70/2015–16 आदेश दिनांक 22/06/17 से असंतुष्ट होकर

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता मुकेश पिता रामनारायण जाति लोधा निवासी– बड़ायला सरवन तह. पिपलोदा जिला रतलाम का निवेदन निम्नानुसार है :–

निगरानी का संक्षिप्त विवरण

1. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, पिपलोदा जिला रतलाम के न्यायालय में प्रतिप्रार्थी दिनेश पिता चेनराम द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध भूमि सर्वे नम्बर 163/2 रकबा 0.04 हेक्टर स्थित ग्राम बड़ायला सरवन का राजस्व निरीक्षक महोदय, पिपलोदा द्वारा

निरन्तर पेज 2

508

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/2147

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार पिपलौदा जिला रतलाम के प्रकरण क्रमांक 12/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	